# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

**पीठासीन अधिकारी:– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.**

**अपील संख्या:–164/2020 (GCMS No. 2020/00164) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)**

1. शिवसिंह आयु 29 साल } पुत्रान पतराम
2. रामपाल आयु 26 साल }

3. सुआबाई वेवा पतराम आयु 53 साल }
4. रामप्रसाद आयु 48 साल } पुत्रान गुलकन्दी
5. हल्के आयु 43 साल }

6. बत्तीलाल आयु 38 साल }
7. अमृतलाल आयु 33 साल } पुत्रान बिस्पतिया
8. भरतलाल आयु 30 साल }
9. नरसी आयु 23 साल }

10. रूपाबाई वेवा बिस्पतिया आयु 63 साल

(1 से 10) जातियान जाटव निवासियान कोंडर तहसील व जिला करौली

..........अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. हरिसिंह पुत्र खिलाडी आयु 38 साल } जाति जाटव निवासी कोंडर तहसील व जिला
2. हरेती वेवा खिलाडी आयु 63 साल } करौली।
3. आवंटन अधिकारी करौली जरिये उपखण्ड अधिकारी करौली जिला करौली।
4. भारतीय स्टेट बैंक शाखा करौली जरिये प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा करौली।

..........रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर करौली दिनांक 19.06.2019 प्रकरण संख्या 02/2016 उनवानी शिवसिह वगै. बनाम हरिसिंह वगै. एवं आवंटन आदेश दिनांक 07.11.1975 उपखण्ड अधिकारी करौली।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

उपस्थितिः—

1. श्री विष्णुचन्द बंसल, वकील अपीलान्ट
2. श्री ऐश्वर्य सिंह, वकील रेस्पोडैन्ट

**नि र्ण य** **दिनांक : 28.04.2023**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 19.06.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवंटन अधिकारी करौली रेस्पोडैन्ट संख्या 3 द्वारा दिनांक 07.11.1975 को खसरा नम्बर 813 रकवा 88 बीघा 1 विस्वा किस्म चारागाह भूमि ग्राम कोंडर तहसील करौली की कोई किस्म परिवर्तन राज्य सरकार या जिला कलक्टर सवाई माधोपुर से कराये बिना चारागाह भूमि का रेस्पो. सं. 1 व 2 के पिता खिलाडी को 5 बीघा भूमि विधिक प्रावधानों के विपरीत आवंटित की गई। दिनांक 19.01.2019 को रेस्पोडैन्ट द्वारा अपीलान्ट की मवेशियों को उक्त चारागाह भूमि से भगाने एवं भूमि अपने नाम दिनांक 07.11.1975 को आवंटन करा लेने की कहने पर उक्त आवंटन की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा अपील आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र नियम 14(4) अधीनस्थ न्यायायल जिला कलक्टर करौली में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2019 को प्रार्थना पत्र अपीलान्ट खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा आवंटन पत्रावली दिनांक 07.11.1975 को भी तलब नहीं कर विधिक प्रक्रिया की घोर रूप से दुरूपयोग कर मनमाने तरीके से जैर अपील निर्णय दिनांक 19.06.2019 पारित किया है। आवंटन अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 07.11.1975 को खसरा नम्बर 813 रकवा 88 बीघा 1 विस्वा किस्म चारागाह भूमि ग्राम कोंडर तहसील करौली की कोई किस्म परिवर्तन राज्य सरकार या जिला कलक्टर सवाई माधोपुर से कराये बिना चारागाह भूमि का अप्रार्थी नं. 1 व 2 के पिता खिलाडी को 5 बीघा भूमि को बिना विधिक प्रावधानों के एवं विधि प्रावधानों के विपरीत आवंटित किया

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

है। आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण नहीं था। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 के पिता खिलाडी का आवंटन 07.11.1975 से आज दिवस तक कोई कब्जा काश्त खसरा नम्बर 813/3 पर नहीं है। बल्कि खसरा नम्बर 813, 854 की भूमि ग्राम कोंडर की मवेशियों को चराने की चारागाह भूमि है एवं खसरा नम्बर 854 में 2 बीघा के करीब आबादी भूमि भी है जिसमें अपीलान्टस की मकानियत 40 साल पूर्व से पितागण अपीलान्ट के समय से बनी हुई है। धारा 16 आर.टी. एक्ट के तहत चारागाह भूमि में किसी भी व्यक्ति एवं रेस्पोडैन्ट को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। न ही ऐसी भूमियों को किसी व्यक्ति को आवंटन किया जा सकता है। उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की है। अपीलान्टस ग्राम कोंडर के स्थायी निवासी हैं और पशु पालन कृषि कार्य व कृषि मजदूर हैं। अपीलान्टस की मवेशियॉ भी उक्त चारागाह में ही चरती है। इसलिए अपीलान्टस को प्रार्थना पत्र धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 व प्रथम अपील पेश करने का विधिक अधिकार है। अपीलान्ट पीडित पक्षकार है। अपीलान्ट को उक्त आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 19.01.2019 को रेस्पोडैन्ट द्वारा अपीलान्टस की मवेशियों को उक्त चारागाह भूमि से भगाने एवं भूमि अपने नाम दिनांक 07.11.1975 को आवाप्ति करा लेने की कहने पर अपीलान्टस द्वारा उक्त आवंटन आदेश की नकल 03.02.2016 को प्राप्त होने पर एवं रेस्पो. संख्या 1 व 2 के पिता के हक में ख.नं. 813/3 का नियम विरूद्ध आवंटन होने एवं ख.नं. 854/3 की विधि विरूद्ध अवैध खातेदारी दर्ज होने की जानकारी हुई। तब अपीलान्टस ने जैर अपील आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र 14(4) न्यायलय जिला कलक्टर करौली में प्रस्तुत किया था। जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.06.2019 को खारिज कर दिया। आवंटन आदेश दिनांक 07.11.1975 को आवंटन अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 30.01.1982 को विधि विरूद्ध रूप से ख.नं. 813/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 854/3 में बिना आवंटन सलाहकार समिति की मीटिंग किये आवंटन सलाहकार समिति की अनुपस्थिति में बदला गया है जिसका आवंटन अधिकारी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 854/3 पर रेस्पोडैन्ट का दिनांक 30.01.1982 से पूर्व से कोई कब्जा काश्त नहीं है। धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत अनाधिकार व नियम विरूद्ध आवंटन को किसी व्यक्ति के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से निरस्त करने का अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर को अधिकार है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडैन्ट को परिवरिश करने को पारित कर दिया। अपील अपीलान्टस निर्णय दिनांक 19.06.2019 का होने से अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र धारा 14(4) अवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 07.11.

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

1975 बावत् खसरा नम्बर 813/3 रकवा 5 बीघा ग्राम कोंडर तहसील करौली एवं संशोधित आदेश दिनांक 30.01.1982 बावत् खसरा नम्बर 854/3 रकवा 5 बीघा निरस्त किया जाकर आराजी को चारागाह स्वरूप जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि आवंटन कमेटी द्वारा खसरा नम्बर 813/3 का आवंटन किया गया था। उक्त खसरा नम्बर पर मौके पर दूसरे लोगों का कब्जा था। अतः खसरा नम्बर 813/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 854/3 का दिनांक 30.01.1982 का आदेश परिवर्तित किया है। कोरम कमेटी के हस्ताक्षर आदेश पर ना होकर पंजिका में होते हैं। आवंटन आदेश को अवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। 30.01.1982 को संशोधित आदेश से ही रेस्पोडैन्ट को कब्जा दिया गया है। 1982 से आदिनांक तक रैस्पोडैन्ट विवादित आराजी पर काबिज हैं। अपीलान्ट द्वारा चारागाह भूमि होने के संबंध में कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। भूमि यदि चारागाह है तो राज्य सरकार की अनुमति से राजपत्र में अधिसूचना से किस्म परिवर्तन कर आवंटन किया गया होगा। जिसे अपीलाण्ट को स्वयं सिद्ध करना था परन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपने तर्को के समर्थन में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर की नजीर आरबीजे 2021 पेज 747, आरआरडी 2016 पेज 163 एवं आरआरडी 2016 पेज 587 पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. रिवीटल में वकील अपीलान्ट का कथन है कि प्रार्थना पत्र आवंटन खारिज करने की सिफारिश में आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं था। संशोधित आदेश दिनांक 30.01.1982 में आवंटन सलाहकार समिति का कोई उल्लेख नहीं है। बिना आवंटन सलाहकार समिति के परिवर्तन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। नामान्तकरण संख्या 854/3 का 7 साल बाद खुलवाया गया है। आवंटन पत्र की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 854/3 खारिज किया जावे।

6. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। केवल काश्तकारी अधिनियिम के प्रावधान के अधीन ही बेदखल किया जा सकता है न कि नियम 14(4) के अन्तर्गत। अपीलान्ट द्वारा इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर करौली के समक्ष प्रार्थना पत्र 14(4) राजस्थान भू राजस्व, कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट के हक में हुए आवंटन आदेश दिनांक 07.11.1975 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया। न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय से खारिज करने पर, अपीलाण्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। अपीलांट विवादित भूमि में अपना हित स्पष्ट नहीं करता है। बल्कि रेस्पोंडेंट के पक्ष में हुए आवंटन को विधि विरूद्ध बताता है। अपीलांट के अभिवचनों से यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि वह आवंटन आदेश से किस प्रकार व्यथित पक्ष है, और यदि वह व्यथित था तो आवंटन के तुरंत बाद उसके द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। आवंटन के 48 वर्ष पश्चात आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही किया जाना कतई तर्कसंगत एवं विधिमान्य नहीं है। अपीलांट की यह आपत्ति कि विवादित आराजीयात में उनके 40 साल पूर्व से मकानात बने हुये हैं; किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है एवं ना ही अपीलांट द्वारा अपने मकानात बने होने का कोई प्रमाण ही प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा प्रकरण में राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होकर आवंटन होने से लेकर आवंटी द्वारा शर्तों की पालना किये जाने व वर्तमान इंद्राजों के बाबत् राज्य हित की पैरवी किया जाना विधिक अपेक्षा है। रेस्पोंडेंट आवंटन के पश्चात आवंटित आराजी पर खातेदार दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम बिना किसी ठोस कारण के आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं समझते हैं। वैसे भी नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद अलॉटमेण्ट रूल्स 1970 के तहत 14(4) की कार्यवाही नही चल सकती है। जहॉ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्तियों का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की सभी आपत्तियों की विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने अपनी उक्त आपत्तियों बाबत् अथवा अपीलाधीन निर्णय को चुनौती देने योग्य, कोई नये तथ्य, तर्क अथवा साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नही किये हैं। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। लिहाजा उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर